

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 16 / 2025

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन
निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी-

श्री दीपक पुत्र जगदीश निवारी आशापुर रोड गढ़
सिवाना, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही।

आदेश

दिनांक : 01.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 27.12.2024 को श्री रामावतार पुनिया व रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स नाकोड़ा स्वीट्स सिवाना पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री दीपक उपस्थित मिले। मौके पर 08 व्यवसायिक सिलेण्डर वक्त जांच पाया गया, जिसमें से 4 व्यावसायिक सिलेण्डर का दस्तावेज नहीं जाए गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-


क्र. सं.	गैस सिलेण्डर नं.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	041907	Indane	20 किग्रा	19.00 किग्रा	0.800 किग्रा
2.	11600	INDANE	35 किग्रा	19.02 किग्रा	16.0 किग्रा
3.	592488 ई	INDANE	19.3 किग्रा	19.3 किग्रा	0 किग्रा
4.	2795	INDANE	19.5 किग्रा	19.5 किग्रा	0 किग्रा

2. प्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर उक्त दुकान में पाये गये व्यवसायिक सिलेण्डर से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त कुल 8 सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर को मैसर्स सिवाना गैस के मैनेजर श्री रवींद्र को सुपुर्दना पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक सिलेण्डर से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की


जिला कलक्टर
बालोतरा

धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा कुल 4 सिलेण्डर को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है।
4. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के दुकान पर पाये गये व्यवसायिक सिलेण्डर से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त कुल 8 सिलेण्डर को मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये हैं, जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स सिवाना गैस के मैनेजर श्री रवींद्र को सुपुर्दगी पर दिये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा उक्त व्यावसायिक सिलेण्डर से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7 (1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के सिलेण्डर राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7 (1) का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सिलेण्डर का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।
6. आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुशीला कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, बालोतरा